JALAUN POLICE

दिनांक – 24.06.2026

कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा धमकी देकर रंगदारी लेने वाले 03 अभियुक्तगण को 9200 रूपये व 01 अदद मोबाइल व 01 अदद तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

अवगत कराना है कि दिनांक 22.06.2026 को प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली कालपी पर मु0अ0सं0 136/26 धारा 308(5)/112/317(2) बीएनएस व मु0अ0स0 138/26 धारा 308(5)/112/317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में दिनांक 24.06.2026 को कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा उपरोक्त पंजीकृत अभियोग में प्रकाश में आए अभियुक्तगण 1.सनी पुत्र संदीप कुमार निवासी ग्राम सोहरापुर कोतवाली कालपी जनपद जालौन 2. पुष्पेन्द्र कुशवाहा उर्फ बाबा पुत्र वीरेन्द्र कुशवाहा निवासी ग्राम छौंक कोतवाली कालपी जनपद जालौन 3.पुष्पेन्द्र कुमार उर्फ राजा पुत्र माताप्रसाद निवासी ग्राम मोतीनगर बहद ग्राम जोल्हूपुर कोतवाली कालपी जनपद जालौन को रंगदारी के रूप मे लिये गये कुल 9200 रूपये व 01 अदद मोबाइल को बरामद किया गया एवं अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुशवाहा उर्फ बाबा के कब्जे से 01 अदद तंमचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । जिसके सम्बन्ध में कोतवाली कालपी में मु0अ0सं0- 140 /2026 धारा- 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया है । अभियुक्तगणों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है । अभियुक्त साहिल पुत्र अज्ञात निवासी मुहल्ला रामचबूतरा कस्बा व थाना कालपी जनपद जालौन मौके से फरार हो गया। जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. सनी पुत्र संदीप कुमार उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम सोहरापुर थाना कालपी जनपद जालौन ।
2. पुष्पेन्द्र कुशवाहा उर्फ बाबा पुत्र वीरेन्द्र कुशवाहा उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम छौंक थाना कालपी जनपद जालौन ।
3. पुष्पेन्द्र कुमार उर्फ राजा पुत्र माताप्रसाद उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम मोतीनगर बहद ग्राम जोल्हूपुर थाना कालपी जनपद जालौन ।

पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कालपी मय पुलिस टीम ।